रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 347] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 24, 1984/श्रावण 2, 1906
No. 347] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 24, 1984/SRAVANA 2, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय

(श्रम विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 1984

का. आ. 528(अ) :—केन्द्रीय सरकार, लौह अयस्क खान, मैंगनीज अयस्क खान और क्रोम अयस्क खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1976 (1976 का 61) की धारा 8 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार

के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 140 (अ), तारीख 29 फरवरी, 1984 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम सं. 2 के सामने, स्तम्भ 4 में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी , अर्थात् :—

"राजस्थान, गुजरात और हरियाणा ।"

[सं. एस-23013/2/83/डब्ल्यू 2]

लक्ष्मी धर मिश्रा, महानिदेशक (श्रम कल्याण)

MINISTRY OF LABOUR & REHABILITATION

(Department of Labour)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th July, 1984

S.O. 528(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 8 of the Iron Ore Mines, Manganese Ore Mines and Chrome Ore Mines Labour Welfare Fund Act, 1976 (61 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour) No. S.O. 140(E), dated the 29th February, 1984, namely :—

In the Table to the said notification, against serial No. 2, in column 4, for the entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"Rajasthan, Gujarat and Haryana".

[No. S-23013|2|83|W.II]

LAKSHMIDHAR MISHRA, Director General
(Labour Welfare)

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984